



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8784 वर्ष 2026

संजय कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद इमरान खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अर्पित अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरीक्षित की गई। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन दिनांक 11.01.2025 के आरोप-पत्र, दिनांक 22.08.2025 के संज्ञान/समन आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 318 सन् 2024 से उद्भूत वाद संख्या 9003 सन् 2025 की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो धारा 316(2), 318(4), 352 एवं 351(2) बी.एन.एस., थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत के अंतर्गत है।

3. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन में की गई प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2024) 10 एस सी सी 690** में प्रतिपादित स्थापित विधिक सिद्धांत पर विवाद नहीं कर सके।

4. वर्तमान मामले में विवाद एक ही आरोपों के आधार पर धारा 406 एवं 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत अपराधों के सह-अस्तित्व से संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड (उपरोक्त)** में विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

“38. हमारी राय में, परिवाद को सामान्य रूप से पढ़ने पर उपर्युक्त उल्लिखित तत्वों में से किसी का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है। पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि के संबंध में उत्पन्न एक गंभीर भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 आई.पी.सी. में परिभाषित और धारा 406 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आई.पी.सी. में परिभाषित एवं स्पष्ट किए गए तथा धारा 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय छल के अपराध को भी किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



41. मात्र संविदा के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग और छल के अपराधों के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, अभियुक्त की प्रेरित करते समय की मंशा की जांच की जानी चाहिए, जिसका अनुमान उसके बाद के आचरण से लगाया जा सकता है, यद्यपि केवल बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र संविदा का उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय जब अपराध किए जाने का आरोप है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सारतत्व है।

42. छल और आपराधिक न्यासभंग के अपराधों के तत्व भिन्न एवं पृथक हैं और तथ्यों के एक ही समूह से सामान्यतः दोनों अपराध एक साथ गठित नहीं हो सकते।

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा विद्यमान होनी चाहिए। आपराधिक न्यासभंग में केवल संपत्ति का न्यस्त किया जाना सिद्ध करना पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को विधिपूर्वक संपत्ति सौंपी जाती है और उसके पश्चात वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। इसके विपरीत, छल के मामले में अपराधी कपट या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखे द्वारा संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

5. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. को सुनने, अभिलेख का परिशीलन करने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार करने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पश्चात, इस न्यायालय ने पाया कि धारा 406 एवं 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत अपराधों का एक ही तथ्यों के आधार पर सामान्यतः एक साथ आरोपित नहीं किया जा सकता। अतः आक्षेपित कार्यवाही विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं है।

6. तदनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 318 सन् 2024 से उद्भूत वाद संख्या 9003 सन् 2025 में, धारा 316(2), 318(4), 352 एवं 351(2) बी.एन.एस., थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत के अंतर्गत, दिनांक 22.08.2025 का संज्ञान/समन आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

7. मामले को संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में समन किए जाने के प्रश्न पर नया आदेश पारित किया जाए।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

6 अगस्त, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)